FAX

पत्रांक–1 / प्रा0आ0–0–3–18 / 2016 2937 / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार, भा0प्र0से0
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
अररिया / सुपौल / दरभंगा / पूर्णियाँ / किशनगंज / कटिहार / मधेपुरा / भागलपुर / सहरसा / गोपालगंज / पूर्वी चम्पारण / मुजफ्फरपुर।

पटना–15, दिनांक– 4/8/16.

विषय: **दिनांक 01.08.2016 को फार्म–IX में प्रतिवेदित बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में बिना औचित्य के अप्रत्याशित वृद्धि नहीं करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संदर्भ में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि आपके द्वारा दिनांक 15.06.2016 से फार्म–I में दैनिक प्रतिवेदन एवं फार्म–IX में साप्ताहिक प्रतिवेदन में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या, मृतकों की संख्या, गृह क्षति की संख्या एवं फसल क्षति का रकबा इत्यादि प्रतिवेदित की जा रही है। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में बाढ़ प्रभावित परिवारों को साहाय्य राशि का वितरण किया जाना है, जिसके आलोक में राशि की अधियाचना आपके द्वारा की जा रही है। ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के अनुसार परिवार में औसत सदस्यों की संख्या 4.2 निर्धारित की गई है।

अतएव अनुरोध है कि परिवार की संख्या की गणना में उपरोक्त तथ्यों को विचार करते हुए परिवार की संख्या का निर्धारण किया जाए एवं प्रभावित जनसंख्या के समानुपातिक परिवार की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होने पर औचित्य स्पष्ट करते हुए बाढ़ से प्रभावित परिवार की संख्या पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध करायी जाए तथा सर्वेक्षणोंपरान्त गृह क्षति की संख्या (पक्का, कच्चा, झोपड़ी पूर्ण एवं आंशिक सहित) तथा क्षतिग्रस्त फसलों का रकबा सहित प्रतिवेदन चार दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, जिससे राशि की गणना कर आपको संबंधित शीर्षों में आवंटन उपलब्ध कराया जा सके।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में बिना औचित्य स्पष्ट किये बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि नहीं की जाय।

विश्वासभाजन

5/8/16

(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव

E:\All Report\Budget 2016 letter Anirudh Sir -02 08 16.doc